उत्तर प्रदेश सरकार
संस्कृति अनुभाग
संख्या 1527 / चार-99-6(4)/97
लखनऊ: दिनांक 25 मई, 1999

अधिसूचना

383 उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1957) की धारा-3 द्वारा यथा पुन: अधिनियमित प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या-7 सन् 1904) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों को 1904 के उक्त अधिनियम संख्या 7 के अर्न्तगत परिरक्षित स्मारक घोषित करते हैं।

अनुसूची

क्र0सं0	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन लिए जाने वाली राजस्व गाटा संख्या	क्षेत्रफल एकड़ में	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
1-	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	सफीपुर परगना बांगरमऊ ग्राम- रामकोट	स्थान कोट का टीला	91	63 बीघा 5 बिस्वा 4 बिस्वांसी	उत्तर-गाटा संख्या 1 सीमा ग्राम 2,3 फतेहपुर 4,6 पथरौली दक्षिण-गाटा संख्या 90,56,101 पूर्व- गाटा संख्या 55,50,49, 23 पश्चिम-गाटा संख्या 92, 93 94 95 96,97 98 99 100

---2/-

	2	3	4	5	6	7	8
					23	09 बीघा 10 बिस्वा 1 बिस्वांसी	उत्तर- गाटा संख्या 1. 2.3.4.6.19. 20.21.22 दक्षिण- गाटा संख्या 28.29. 41. 44.54.49 पश्चिम- 91.49 पूर्व - गा.सं. 6,9,20,21,22 (पूर्ण)
					4	6 बीघा	उत्तर - सई नदी दक्षिण- गाटा संख्या 23 पूर्व- गाटा संख्या 6 पश्चिम- गाटा संख्या 3
2-	उत्तर प्रदेश	उन्नाव	सफीपुर परगना बांगर मऊ ग्राम उग्गू	उग्गू का प्राचीन टीला स्थानीय नाम कोट	2619	5 बीघा 5 बिस्वा 2 बिस्वांसी	उत्तर- गाटा संख्या 2618 व 2622 कब्रिस्तान दक्षिण- लाल सिंह से संबंधित गाटा संख्या 2446 पूरब - 2593 आबादी पश्चिम- आम रास्ता

Scanned by CamScanner

सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियाँ, यदि कोई हों, सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, संस्कृति विभाग, एनेक्सी भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ को सम्बोधित और लिखित रूप में भेजी जानी चाहिए। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,
शैलेन्द्र कुमार
(शैलेन्द्र कुमार)
सचिव

पृ०सं० 1527 (1)/चार - 98 ए3 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- निदेशक, उ०प्र० राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ को इस आशय से कि वे जिलाधिकारी से प्राप्त आपत्तियाँ यदि कोई हों, तो अपनी आख्या सहित शासन को निर्धारित अवधि के अन्तर्गत तुरन्त भेज दें।

3- मण्डलायुक्त लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव को इस आशय से कि वे निर्धारित अवधि के (नोटिस चस्पा करने की तिथि से एक माह) अन्तर्गत प्राप्त आपत्तियाँ यदि कोई हों अपनी टिप्पणी के साथ शासन को भेजने का कष्ट करें।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उन्नाव

6- अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को इस आशय से कि वह उपरोक्त विज्ञप्ति को उत्तर प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

7- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,
अविनाश पाण्डेय
(अविनाश पाण्डेय)
सचिव

...धिकारी
...त्व संगठन

निदेशक
उ०प्र० राज्य पुरातत्व संगठन, लखनऊ

निदेशक
संस्कृति निदेशालय
लखनऊ।